भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ताः कृषि विभाग के विशेष संदर्भ में

*डॉ. विनिषा सिंह

शोध सारांश

भारत एक कृषि प्रधान देश हैं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि या कृषि से सम्बन्धित उद्योगों पर निर्भर करती है।[1] राष्ट्र का विकास कृषि विकास के बिना सम्भव नहीं है। देश में उद्योग, विदेशी व्यापार, विदेशी मुद्रा अर्जन, विभिन्न योजनाओं की सफलता एवं राजनीतिक स्थायित्व भी कृषि पर ही निर्भर हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार देश के राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 18.5 प्रतिशत अंश कृषि से प्राप्त होता है।

इस शताब्दी के प्रारम्भ से हमारा कृषि उद्‌भव के तीन चरणों को अभिचिन्हित किया जा सकता है।

प्रथम चरणः 1900 से 1947 का है जिसे लगभग गतिहीनता का युग कहा जा सकता है क्योंकि इस काल में वार्षिक वृद्धि दर 0.3 प्रतिशत थी।

द्वितीय चरण : 1950 से 1980 का है जिसके अन्तर्गत कृषि के आधुनिकीकरण में उल्लेखनीय प्रगति हुई।

तृतीय चरण : 1980 के दशक से प्रारम्भ होता है जिसे विपणन व व्यापार तथा संस्थागत ढाँचे से चिन्हित किया गया हैं।

एशियाई देशों में कृषि समस्याएं व सम्भावनाओं पर हुए एक सर्वेक्षण में भारत सहित एशिया के अन्य देशों की कृषि विकास नीति में उत्पादन बढ़ाने, मजदूरी, ग्रामीण मजदूरों को कृषि एवं कृषित्तर क्षेत्र में सहायक रोजगार देने, कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रों में सम्पर्क जोड़ने एवं कृषि वस्तुओं के उत्पादन व व्यापार को संगठित करने पर जोर दिया गया है। भारत में पिछले चार दशकों में कृषि क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा करने पर तीन प्रवृत्तियों का पता चलता हैं :–

(1) कृषि उत्पादन में सम्पूर्ण विकास दर बढ़ती हुई आवश्यकताओं की तुलना में धीमी रही।

(2) 1960 के मध्य में विकास दर कम हुईं है।

(3) कृषि विकास में अस्थिरता आती रही हैं।[2]

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्व[3]:–

भारत एक कृषि प्रधान देश माना गया है जबकि योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश काफी घट गया है फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्व कई दृष्टियों से आज भी बना हुआ है और भविष्य में भी बना

रहेगा। निम्नांकित तथ्य भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्व प्रदर्शित करते हैः–

(1) कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदानः–

1950–1951 में कृषि व कृषि से सम्बन्धित उद्योगों का देश की राष्ट्रीय आय में 53.7 प्रतिशत, योगदान है। जो अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक है। वर्तमान में इटली में 2 प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 प्रतिशत राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है जबकि भारत में कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान का अनुपात अधिक है।

(2) कृषि का रोजगार की दृष्टि से महत्त्वः–

रोजगार की दृष्टि से कृषि का अमूल्य योगदान रहा है। 1950–1951 में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या को कृषि के द्वारा रोजगार उपलब्ध हुआ है। कृषि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का रोजगार उपलब्ध कराती है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत में कृषि का विकास करके ही बेरोजगारी खत्म की जा सकती है। क्योंकि आज भी देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या कृषि से जुड़ी है।

(3) अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कृषि का महत्त्वः–

कृषि का विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी काफी महत्त्व है। हम कई प्रकार के कृषिगत पदार्थों का निर्यात व आयात करते हैं। भारत कई कृषिगत वस्तुओं जैसे – चाय, कॉफी, चावल, कपास, तम्बाकु, काजू, मसाले, खली फल व सब्जियाँ, प्रोसेस किये गए फल व फूलों के रस, चीनी व इससे बने पदार्थों आदि का निर्यात करता है। यदि देश के निर्यात बढ़ेगें तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी जिससे देश को आर्थिक लाभ होगा तथा बहुमूल्य की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। अतः कृषि का विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी काफी महत्त्व है।

(4) औद्योगिक विकास के लिए कृषि का महत्त्वः–

भारत में कृषि के महत्त्व के कारण हमारे प्रमुख उद्योगों का कच्चा माल मिलता है। जैसे सूती और पटसन वस्त्र–उद्योग, चीनी, वनस्पति, बागान, उद्योग आदि सभी कृषि पर निर्भर हैं और भी ऐसे अनेक उद्योग हैं जो कृषि पर अप्रत्यक्ष रूप में निर्भर है। हाथ करघा बनुाई, तेल निकालना, चावल कूटना आदि बहुत से लघु और कुटीर उद्योगों को भी कृषि से कच्चा माल मिलता है।

(5) कृषि का निर्धनता–उन्मूलन में योगदानः–

भारत में कृषिगत उत्पादन को बढ़ा कर गरीबी को कम किया गया है। गरीबी का विचार कैलोरी से जुड़ा हैं अतः खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने से ही इनकी प्रति व्यक्ति उपलब्धि बढ़ायी जा सकती है, जिससे गरीबी कम होती है। ग्रामीण क्षेत्र में रोटी व रोजी की समस्या का समाधान प्रमुखतया कृषिगत विकास पर ही आधारित माना गया है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान व महत्त्व भूतकाल में था, वर्तमान में भी हैं, और भविष्य में भी बना रहेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि विभाग का योगदानः–

राष्ट्र का विकास कृषि विकास के बिना सम्भव नहीं है। भारतीय संघीय व्यवस्था के अन्तर्गत कृषि को महत्वपूर्ण विषय मानते हुए राजस्थान राज्य द्वारा कृषि सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करने हेतु राजस्थान में 7 अप्रैल 1949 को कृषि विभाग की स्थापना की गई थी।[4] वर्तमान में कृषि विभाग के संगठन को निदेशालय स्तर, जिला स्तर, उप जिला

स्तर, क्षेत्र स्तर में विभक्त किया गया है। राज्य में कृषि विकास के लिए कृषि विभाग द्वारा वर्तमान में विभिन्न योजनाऐं चलाई जा रही है जिसमें कृषि विस्तार की ''प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रद्धति'' योजना महत्वपूर्ण है। इस योजना का मुख्या उद्देश्य नवीनतम कृषि ज्ञान को समयबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से कृषकों तक पहुँचाना है एवं कृषि उत्पादन बढ़ाना था।[5]

कृषि विभाग के उद्देश्य एवं कार्य[6]

1. उत्पादकता बढ़ाने के लिये वैज्ञानिक द्वारा कृषि तकनीक उपलब्ध कराना जिससे कृषक आर्थिक लाभ की प्राप्ति हेतु कृषि को आधुनिक रूप दे सकें।
2. तकनीकी संस्थाओं तथा वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई आधुनिक कृषि तकनीक हेतु नियोजन के लिये व्यापक कदम उठाना।
3. स्थानीय स्तरों पर क्षेत्र आयोजना और नियोजन आयोजना।
4. पिछड़े क्षेत्रों में और साथ ही अनुसूचित जातियों में तथा अनुसूचित जनजातियों में प्रतिव्यक्ति आय में अधिककतम दर की प्राप्ति।
5. कुछ विशेष कृषि जिन्सों के उत्पादन में वृद्धि करना जिनका उद्योगों में विधायन के लिये कच्चा माल मिल सके एवं निर्यात में वृद्धि हो सके।
6. कृषकों की कृषि से सम्बन्धित दिन–प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करना।
7. सामाजिक न्याय हेतु उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार के अवसरों की प्राप्ति तथा गरीबी उन्मूलन।
8. भूमि के प्रति इकाई आय में वृद्धि के लिये विनियोजन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिये मिश्रित सघन कृषि को बढ़ावा देना।
9. खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना।
10. गहर पशुपालन विकास को समर्थन प्रदान करना तथा पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान तेज करना।
11. कीट सम्बन्धी व्याधियों से निपटाने के लिये अनुसंधान तथा द्रुत अनुश्रवण प्रणाली तैयार करना।
12. गहन कृषि उत्पादन के लिये आवश्यक आदानों जैसे उर्वरक, जैविक कीटनाशको, ऋण तथा अवस्थापन सुविधाओं की आपूर्ति की व्यवस्था करना।
13. गहन मत्सयकी कार्यक्रमों की सहायता प्रदान करना।
14. विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु के अनुसार कृषि की नयी किस्मों के उत्पादन की जाँच करना तथा प्राप्त ज्ञान को किसानों तक पहुँचाना।
15. उत्पादन में वृद्धि जिससे कृषकों तथा श्रमिकों को लाभ मिल सके।
16. कृषि वानिकी कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करना।

इस प्रकार कृषि विभाग द्वारा कृषकों तक नवीनतम कृषि ज्ञान को योजनाबद्ध तरीके से कृषकों तक पहुँचाया जाता है। जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। कृषि विभाग द्वारा कृषकों की कृषि सम्बन्धी समस्या का समाधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसान गोष्ठी, मासिक कार्यशाला, मासिक कलस्टर बैठक, किसान सेवा–केन्द्र, किसान सलाहकार समिति के माध्यम से कृषकों को उन्नत कृषि विधियों की जानकारी दी जाती है। जिससे कृषक अपना उत्पादन बढ़ा सके एवं भारतीय अर्थव्यवस्था सशक्त बने।

***व्याख्याता**
लोक प्रशासन विभाग
संस्कार भारती पी.जी. कॉलेज
बगरू, जयपुर (राज.)

सन्दर्भ सूची

1. आर्थिक समीक्षा, राजस्थान सरकार, 2007–08 पृ. 43–45
2. सुबह सिंह यादव, कृषि अर्थव्यवस्था, रावत पब्लिकशन् जयपुर, 1992, अध्याय प्राक्कथन।
3. लक्ष्मीनारायण नाथूरामका, भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश बुक डिपो, 2016, पृ. 61–63
4. चन्द्रमौली सिंह, अशोक शर्मा एवं सुरेश गोयल, राजस्थान में राज्य प्रशासन, इण्डियन सोसायटी फॉर पब्लिक अफेयर्स, 1985 पृ. 269
5. कृषि विभाग, राजस्थान नियमावली, जुलाई, 1997, पृ. 16
6. कृषि विभाग, राजस्थान नियमावली, जुलाई, 1997, पृ. 16–17
7. विनिषा सिंह, शोध ग्रन्थ, राजस्थान राज्य में सहायक कृषि अधिकारियों का कार्मिक प्रशासन, 2009